

आयकर अपीलीय अधिकरण

उत्पत्ति: आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 252 में यह प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार, अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उतने न्यायिक सदस्यों और लेखा सदस्यों से, जितने वह ठीक समझता है, एक अपीलीय अधिकरण का गठन करेगी। पूर्व भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 में अंतर्विष्ट ऐसे ही प्रावधानों के अनुसरण में दिनांक 25 जनवरी, 1941 को आयकर अपीलीय अधिकरण की स्थापना की गई थी।

पीठों की संख्या: वर्तमान में गठित अधिकरण में 63 पीठें शामिल हैं जिसमें अध्यक्ष का एक (01) पद, जिसकी सहायता दस (10) मंडलीय उपाध्यक्ष और 115 सदस्य (अर्थात् लेखा सदस्य और न्यायिक सदस्य) करते हैं। वर्तमान में देशभर के 30 शहरों में फैले 63 पीठों के लिए सदस्यों (अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित) के वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या 126 है।

शक्तियां और कृत्य: आयकर अधिनियम के अधीन गठित आयकर अपीलीय अधिकरण प्रत्यक्ष कर के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित प्रशासनिक आयुक्तों के पुनरीक्षण आदेशों के विरुद्ध अपीलों के साथ-साथ आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 छ या 12क के अधीन पंजीकरण मना करने के आदेश का निपटान करता है। अपीलीय अधिकरण काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के सभी मामलों में द्वितीय अपीलों सहित काला धन (गुप्त विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन मुख्य आयुक्त/आयुक्त द्वारा पारित किसी पुनरीक्षण आदेश का भी निपटान करता है।

आयकर अपीलीय अधिकरण की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा इसके सदस्यों में से गठित की गई न्यायपीठों द्वारा किया जाता है। सामान्यतः एक न्यायपीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होता है। तथापि, उपयुक्त मामलों में अध्यक्ष के निर्णय से, पीठ में दो या उससे अधिक सदस्य शामिल हो सकते हैं। अध्यक्ष या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया अधिकरण का कोई अन्य सदस्य एकल रूप में बैठकर किसी मामले को निपटा सकेगा जो ऐसे न्यायपीठ को आबंटित किया गया है जिसका वह सदस्य है और जो ऐसे निर्धारित से संबंधित है जिस मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा यथासंगणित कुल आय पचास लाख (50 लाख रु.) रुपये से अधिक नहीं है और अध्यक्ष, आयकर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी विशिष्ट मामले के निपटारे के लिए तीन या इससे अधिक सदस्यों का विशेष न्यायपीठ गठित कर सकेगा, जिसमें आवश्यक रूप से एक न्यायिक सदस्य और एक लेखा सदस्य होगा।

प्रक्रिया और नियम:

अपीलीय अधिकरण को उन सभी विषयों में जो उसकी शक्तियों के प्रयोग और कृत्यों के निर्वहन से उत्पन्न होते हैं, जिसके अंतर्गत वे संस्थान भी हैं जहां न्यायपीठ अपनी बैठक करेंगे, स्वयं की प्रक्रिया और अपने न्यायपीठों की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

तदनुसार, अपीलीय अधिकरण ने अपने नियम बनाए हैं जिन्हें आयकर (अपीलीय अधिकरण) नियम, 1963 कहा जाता है। उक्त नियम अपीलीय अधिकरण के समक्ष लंबित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। यह अपीलीय अधिकरण न केवल आयकर से संबंधित मामलों में अपितु धन-कर, उपहार-कर आदि जैसे कराधान के सभी मामलों में अंतिम तथ्यान्वेषण-प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है। अपीलीय अधिकरण में दक्ष कार्मिक हैं जो अपने पूरे सामर्थ्य से अपने कृत्यों का निर्वहन करते हैं और कर-दाता और राजस्व के बीच बिना किसी भय के निष्पक्ष रूप से न्याय का पलड़ा बराबर बनाए रखते हैं।

जिन मामलों का निपटारा अपीलीय अधिकरण करता है, वे अत्यंत महत्व के होते हैं और उनमें करोड़ों रुपयों का राजस्व शामिल होता है। अधिकरण को विधि और तथ्य के जटिल प्रश्नों का विनिश्चय करने का दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा गया है। न्यायिक और लेखा सदस्य, दोनों की उपस्थिति इस बात को सुनिश्चित करती है कि उनके विचाराधीन मामलों में विधि और तथ्यों के प्रश्नों की समुचित रूप से जांच की गई है और उसमें कानूनी पहलू के साथ-साथ लेखा की दृष्टि से भी पूरा-पूरा ध्यान दिया गया है। यह अपीलीय अधिकरण अपील के दोनों पक्षकारों के प्रतिनिधियों को अपने समक्ष अपील करने की अनुमति देता है और कोई आदेश पारित करने से पूर्व अनिवार्यतः उनकी सुनवाई करता है। सदस्य पक्षकारों की सुनवाई करते हैं, अभिलेख पर साक्ष्य का अवलोकन करते हैं, उन पर अपने टिप्पण लिखते हैं, न्यायालय में उद्धृत नजीरों को निर्दिष्ट करते हुए आपस में परामर्श करते हैं और फिर अंतिम आदेश पारित करते हैं। यह प्रक्रिया अपने आप में ही एक गारंटी है कि तथ्य और विधि के प्रश्न समुचित रूप से और न्यायिकतः विनिश्चित किए जाते हैं और अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निष्पक्ष और निर्दोष होते हैं।
